

कार्यालय नगर परिषद शामगढ जिला मन्दसौर म0प्र0

दिनांक 26.05.2026

क / 1618/2026

इ-निविदा द्वितीय आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद, शामगढ द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निम्नांकित सामग्री क्रय एवं कार्य करवाये जाने हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक ठेकेदार निर्धारित धरोहर राशि जमा कर ऑनलाईन दर प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसका विवरण एवं शर्तें कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर निर्माण शाखा में देख सकते हैं।

क0	ऑनलाईन टेण्डर न.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अर्नेस्टमनी	निविदा प्रपत्र कर मुल्य	समयावधि	विक्रेता / निर्माता की श्रेणी
1		लाईट एवं साउण्ड व्यवस्था	10.00 लाख	10000	5000	वर्ष 2026-2027	सक्षम श्रेणी
2		टैन्ट व्यवस्था	15.00 लाख	11300	5000	वर्ष 2026-2027	सक्षम श्रेणी
3		फेलक्स, बेनर, प्रिंटिंग संबंधित अन्य कार्य	15.00 लाख	11300	5000	वर्ष 2026-2027	सक्षम श्रेणी

उपरोक्त निविदा के निविदा प्रपत्र ऑन लाईन भुगतान कर, क्रय किये जा सकते हैं। निविदा क्रय तथा प्रस्तुत करने की समय सारणी निम्नानुसार है :- निविदा ऑनलाईन क्रय एवं बिड जमा करने की अंतिम तिथि 10.06.2026 सांय 03 बजे तक एवं खोलने की दिनांक 11.06.2026

नोट :-

- विस्तृत निविदा विज्ञापित टेण्डर एवं अन्य दस्तावेज देखने एवं डाउनलोड करने के लिये <http://mptenders.gov.in> पर सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय नगर परिषद शामगढ पर सम्पर्क करें।
- निविदा में यदि कोई संशोधन होता है तो वह ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित होगा उसके लिये पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
- प्रस्तुत दर स्वीकृती दिनांक से 31 मार्च 2027 तक के लिये प्रभावशील होगी।
- समय - समय पर शासन द्वारा जारी नियम का निर्माता व विक्रेता को पालन करना होगा।
- समस्त सामग्री की दरें मदवार पृथक-पृथक देना होगी। निकाय में आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय की जाएगी। क्रय सामग्री का भुगतान निकाय कि वित्तीय स्थिति अनुसार किया जावेगा।
- निविदादाता अपनी दरें उक्त अनुमानित लागत अनुरूप कार्य पर लगने वाली जी.एस.टी दर को छोड़कर प्रस्तुत करेगा। वर्क कान्ट्रेक्टर के भुगतान के समय जी.एस.टी. कि जो दरें देयक पर लागू होगी उसके अनुसार जी.एस.टी का भुगतान पृथक से विक्रेता/निर्माता को किया जावेगा।

श्रीमति कविता यादव
अध्यक्ष
नगर परिषद शामगढ


श्रीमति डाली जोशी
उपाध्यक्ष
नगर परिषद शामगढ

सुरेश यादव
मुख्य न0पा0 अधिकारी
नगर परिषद शामगढ
दिनांक 26.05.2026

पृष्ठा0क / /2026

प्रतिलिपि :-

- प्रधान संपादक दैनिक समाचार पत्र की और विज्ञापन राशि रुपये के अंतर्गत आगामी अंक में प्रकाशन
- कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।



मुख्य न0पा0 अधिकारी
नगर परिषद शामगढ

कार्यालय नगर परिषद शामगढ जिला मन्दसौर मप्र0

निम्न सामग्री कय हेतु अन्य शर्तें निम्नानुसार है।

1.सभी सामग्री निर्धारित मेक एवं स्पेसीफिकेशन अनुसार होना अनुसार आवश्यक अन्यथा दर मान्य नहीं कि जावेगी।

1. सामग्री नगर पालिका स्टोर शाखा में प्रदाय करना होगी।
2. सामग्री निर्धारित स्पेसीफिकेशन एवं उत्तम गुणवत्ता की देना होंगी।
3. सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है।
4. बगैर अमानत राशि एवं निविदा फार्म शुल्क की प्राप्त निविदा पर विचार नहीं की जावेगा।
5. निर्धारित अवधि सामग्री प्रदाय न करने की स्थिति में प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है।
6. सामग्री प्रदाय न करने की स्थिति में स्वीकृत दर पर अन्य किसी भी एजेन्सी से सामग्री कय की जा सकती है। इस संबंध में दर दाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं की जा सकेगी।
7. किसी भी प्रकार की क्षतिग्रस्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी।
8. दरे स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर परिषद शामगढ को होगा।
9. देयक का भुगतान नगर परिषद शामगढ कि आर्थिक स्थिति अनुसार किया जावेगा।
10. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 के पी0आई0सी0 नियम 1998 के नियम 7 के अनुसार अनुबंध के पुर्व प्रतिभुति राशि सामग्री कि अनुमानित लागत का 5 प्रति शत नगद/एफ0डी0आर जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पत्र में देय होगा। जो की सुचना प्राप्ति के 07 दिवस में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा भाव पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
11. आयकर विलयरेंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. समय –समय पर शासन द्वारा जारी नियम का निर्माता व विक्रेता को पालन करना होगा।
13. दरें समस्त करो सहित प्रस्तुत करना होगी।
14. टेण्डर डाउनलोड करने के पूर्व निविदाकार स्थल का निरिक्षण कर नगर परिषद् शामगढ में उपलब्ध तर्त का अध्ययन करने के उपरांत ही टेण्डर प्रविष्टि करें।
- 15.निविदा में यदि कोई संशोधन होता है तो वह ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित होगा उसके लिये पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
- 16.समस्त सामग्री की दरें मदवार पृथक-पृथक देना होगी। निकाय निकाय में आवश्यकतानुसार सामग्री कय की जाएगी। कय सामग्री का भुगतान निकाय कि वित्तीय स्थिति अनुसार किया जावेगा।
- 17.निविदा प्रस्तुत करते समय प्रचलित अमानत राशि,रजिस्ट्रेशन,पेन नंबर एवं अन्य आवश्यक छायाप्रति।
- 18.संबंधित पंजीकृत फर्म/सप्लायर का केन्द्र अथवा म0प्र0 सरकार को भुगतान किए गए आयकर या वेट टैक्स व जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगी। व प्रस्तुत भावपत्र में पृथक से दर्शाना होगी।
- 19.निविदादाता अपनी दरे उक्त अनुमानित लागत अनुरूप कार्य पर लगने वाली जी.एस.टी. दर को छोडकर प्रस्तुत करेगा। वर्क कान्ट्रैक्टर के भुगतान के समय जी.एस.टी. कि जो दरे देयक पर लागु होगी उसके अनुसार जी.एस.टी का भुगतान पृथक से विक्रेता/निर्माता को किया जावेगा।
- 20.शपथ पत्र 500 रु के स्टाम्प पर।
21. प्रस्तुत दर स्वीकृती दिनांक से वर्ष 2026-27 अवधि के लिये प्रभावशील होगी।
22. निविदाकार को निकाय द्वारा बताये गये स्थान पर डिलेवरी देना होगी।
23. निविदाकार द्वारा प्रदाय कि जाने वाली सामग्री ब्रांडेड एवं आई.एस.आई. मार्क की होना आवश्यक होना चाहिये।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद - शामगढ